सोशल आडिट

मार्गदर्शिका

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2022-2023

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

लखनऊ–226001

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

लखनऊ–226202

संरक्षण

राजेश कुमार सिंह
आई.ए.एस.
महानिदेशक

मार्गनिर्देशन

शरद कुमार सिंह
आई.ए.एस. (से.नि.)
निदेशक

संकलन एवं सम्पादन

बी. डी. चौधरी प्रभारी अपर निदेशक
अनुज श्रीवास्तव उप निदेशक
डा. रंजना सिंह सहायक निदेशक
रजनी मिश्रा संकाय सहायक

रजनी उपाध्याय अपर निदेशक (सोशल आडिट)
राजीव कुमार सिन्हा अपर निदेशक (वित्त)
उदय राज यादव परामर्शी सोशल आडिट
विजय कृष्ण भागवत परामर्शी सोशल आडिट

सप्तम संस्करण – 2022
© एस.आई.आर.डी.यू.पी. एवं सो.आ.नि.यू.पी.

सोशल आडिट

मार्गदर्शिका

(Guidelines)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

वर्ष 2022–2023

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ– 226001

Phone:- 0522-2630877,2630878, Fax:-0522-4003787

E-mail: socialauditup@yahoo.in

Website: www.socialauditup.in

एवं

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

इन्दौराबाग, बख्शी का तालाब, लखनऊ – 226202

दूरभाष : 0522–2050210

Email : ddusird-up@nic.in

Website : www.sirdup.in

राजेश कुमार सिंह
आई.ए.एस.
महानिदेशक

दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

महानिदेशक की कलम से.....

भारत मूलतः गॉवों का देश है जिसकी लगभग दो तिहाई जनसंख्या गॉवों में रहती है, जहाँ रोजगार के मुख्य साधन कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ ही है। आजादी के बाद यद्यपि संगठित क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है और अर्थव्यवस्था के बाजारीकरण के फलस्वरूप न केवल महानगरों वरन् छोटे नगरों में भी संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं किन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी व सीजनल बेरोजगारी की समस्या है। विभिन्न स्तरों पर व्यापक चिंतन–मनन के बाद ग्रामीण बेरोजगार परिवारों कों आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 पारित हुआ, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार, के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को वित्तीय वर्ष में 100 दिन के श्रमपरक रोजगार की गारण्टी देकर लोगों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसी प्रकार गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की व्यवस्था की गयी है, जिसमें लाभार्थी को मनरेगा से सुनिश्चित रोजगार भी उपलब्ध कराए जाते है।

महात्मा गॉधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से मूलतः पंचायतीराज संस्थाओं का है। योजना निर्माण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कराये गए कार्यों का सोशल आडिट कराने का दायित्व भी इन्हीं संस्थाओं का है, जिससे उनकी समस्त गतिविधियाँ कार्यदायी संस्थाओं, ग्रामीण समुदाय एवं हितधारकों के बीच में पारदर्शी हों। उत्तर प्रदेश में सोशल आडिट कार्य को सम्पन्न कराने हेतु सोशल आडिट निदेशालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की गई, जिसके अधीन जिला, विकासखण्ड व ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट कोआर्डीनेटर्स एवं संसाधन व्यक्ति कार्यरत है जो अपने–अपने स्तर पर योजनाओं के संदर्भ में जनजागरूकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित कराने के दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

सोशल आडिट से जुड़े विभिन्न पक्षों, स्टेकहोल्डर्स तथा सोशल आडिट टीम के सदस्यों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार यह पुस्तिका तैयार की गयी है, जिसे तैयार करने में संस्थान से श्री बी0डी0 चौधरी, प्रभारी अपर निदेशक, श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, डॉ0 रंजना सिंह, सहायक निदेशक, तथा सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0 से श्रीमती रजनी उपाध्याय, अपर निदेशक (सो0आ0), श्री राजीव कुमार सिन्हा, अपर निदेशक (वित्त), विजय कृष्ण भागवत एवं श्री उदयराज यादव, (परामर्शी, सोशल आडिट) ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिये सभी धन्यवाद के पात्र है।

आशा है यह पुस्तिका अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगी।

(राजेश कुमार सिंह)
आई.ए.एस.
महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

दिनांक : जून, 2022

शरद कुमार सिंह
निदेशक

सोशल आडिट निदेशालय,
उत्तर प्रदेश

संदेश

सोशल आडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसाधारण सरकारी तंत्र के साथ मिलकर किसी योजना या कार्यक्रम के नियोजन एवं क्रियान्वयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन करते हैं। यह प्रक्रिया सभी संगत सूचना के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं सूचना को अनावश्यक रूप से गोपनीय बनाने की प्रवृत्ति को मूलरूप से समाप्त करने पर जोर देती है। इसके अन्तर्गत योजना अथवा कार्यक्रम का सत्यापन एवं मूल्यांकन समुदाय के द्वारा प्राथमिक हितधारकों के सक्रिय योगदान के माध्यम से किया जाता है। सोशल आडिट में अभिलेखों का परीक्षण एवं कार्यों का स्थलीय सत्यापन समुदाय की सहभागिता से किये जाने तथा सत्यापन निष्कर्षों को सार्वजनिक मंच से ऊंचे स्वर में पढ़े जाने की व्यवस्था हैं। जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। इसके माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा होती है तथा अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु एक सक्षम खुला मंच भी उपलब्ध होता है।

वर्तमान में सोशल आडिट निदेशालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सोशल आडिट की जा रही है, जिसके लिये सोशल आडिट टीम सदस्यों एवं ब्लाक रिसोर्स पर्सन्स का प्रशिक्षण राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के दिशा निर्देशन में क्षेत्रीय एवं जिला ग्राम्य विकास संस्थानों द्वारा दिया जाता है। प्रशिक्षण हेतु सस्थान द्वारा सोशल आडिट निदेशालय के सहयोग से साहित्य विकसित कर प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शिका के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपरोक्त योजनाओं की सोशल आडिट सम्पादित करने हेतु मार्गदर्शिका को अद्यतन संशोधित कर प्रकाशित कराया जा रहा है, इस पुस्तिका को तैयार करने में सोशल आडिट निदेशालय के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसके लिए श्रीमती रजनी उपाध्याय, अपर निदेशक, (सो0आ0) श्री राजीव कुमार सिन्हा, अपर निदेशक, (वित्त), श्री उदयराज यादव एवं श्री विजय कृष्ण भागवत (कन्सलटेन्ट, सो0आ0) बधाई के पात्र हैं।

आशा है यह पुस्तिका प्रशिक्षण एवं सोशल आडिट कार्य हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाओं सहित

दिनांक : 01.06.2022

शरद कुमार सिंह
निदेशक

अध्याय–1
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

1. भूमिका

स्वतंत्रता के तुरन्त बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम की शुरूआत की गई और तब से अब तक गरीबी उन्मूलन की दिशा में आवास सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। वर्ष 2014 में सीएजी के मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद आवास योजना को पुनर्गठित करते हुए भारत सरकार ने 01.04.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) को लागू किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत सब के लिए घर के उद्देश्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी वेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की मुख्य विशेषताएं

क. आवास के लिए 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ रसोई क्षेत्र शामिल है।

ख. मैदानी क्षेत्रों में रु0 1.20 लाख एवं नक्सल प्रभावित जिलों (मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली) में रु0 1.30 लाख दिए जाने का प्राविधान है।

ग. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के साथ शौचालयों के निर्माण के लिए रु0 12,000/– की सहायता की व्यवस्था है।

घ. आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिनों की अकुशल मजदूरी के भुगतान का प्राविधान है।

ड. ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन एसईसीसी, 2011 में दर्शाए गए आवास विहीन परिवारों एवं अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा।

च. यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से रु0 70,000/– तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।

छ. बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ एवं पर्याप्त ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल कर लाभार्थी को सहायता दी जाएगी।

ज. लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा। यदि लाभार्थी सहमत हो तो उसके आधार कार्ड संख्या को खाते से जोड़ा जा सकता है या पूर्व में आधार कार्ड संख्या से जुड़े खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।

3. लाभार्थियों का चयन और निर्धारण

3.1 लाभार्थियों के चयन और निर्धारण में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। तभी सभी के लिए आवास के लक्ष्य की सही ढंग से पूर्ति की जा सकती है।

3.2 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची एसईसीसी 2011 के आकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबन्ध–1 में निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अधीन एक या दो कमरों की कच्ची दीवार और/कच्ची छ्त युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

3.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्र लाभार्थियों में सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने वाले मानकों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। बेघर परिवारों और उनके बाद कमरों की संख्या शून्य, एक और दो कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विशिष्ट सामाजिक श्रेणी में बेघर परिवार या अपेक्षाकृत कम कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरें वाले मकानों में रहने वाले पश्रिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी।

3.4 उपर्युक्त प्राथमिकता प्राप्त समूहों में एसईसीसी 2011 में यथापरिभाषित (अनुबंध–1 में दर्शाए गए मानदण्ड) अनिवार्य शामिल किए जाने के मानदण्डों की पूर्ति करने वाले परिवारों को प्राथमिकता के क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। स्वतः समावेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नही दी जाएगी। स्वतः समावेशित या अन्य स्थिति में दो उप–समूहों अर्थात परिवारों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनके सकल संचयी हानि संबंधी अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों की गणना आगे दर्शाए गए सामाजिक–आर्थिक मानकों के आधार पर की जाएगी। इनमें से प्रत्येक मानक को समान वेटेज दी जाएगीः–

क. ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।

ख. महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवारों, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।

ग. ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य न हो।

घ. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो।

ड. अपनी अधिकांश आय का अर्जन दिहाड़ी मजदूरी से करने वाले भूमिहीन परिवार।

3.5 उपर्युक्त रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद ग्राम सभा द्वारा बैठक आयोजित की जाएगी और सूची की पुष्टि होने के बाद इसे विकास खण्ड स्तर पर भेजा जाएगा। यदि सूची में नाम गलत सूचना के आधार पर अंकित किया गया है या यदि सर्वेक्षण के बाद परिवार ने पक्के आवास का निर्माण कर लिया है या परिवार को किसी सरकारी योजना के अधीन आवास/मकान आवंटित कर दिया गया है या परिवार किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गया है या बिना किसी उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो गई, तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा देगी। सूची से हटाए गए परिवारों की सूची और उन परिवारों को हटाए जाने का कारण ग्राम सभा के कार्यवृत्त में शामिल किया जाएगा।

3.6 यदि किसी उप–समूह में एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हों तो ग्राम सभा आगे दर्शाए गए मानकों के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी:–

क. सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्ध–सैनिक/पुलिस बलों के सैनिको की विधवाओं और निकट संबंधियों के परिवार।

ख. ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हें एच.आई.वी. (पी.एल.एच.आई.वी.) संक्रमण हो गया हो।

ग. इकलौती बेटी वाले परिवार।

घ. सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार।

ड. किन्नर।

3.7 पात्र होते हुए भी सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों के विषय में ग्राम सभा की बैठक में नाम आने पर उनकी एक अलग सूची बनाई जाएगी। ग्राम सभा द्वारा ऐसी तैयार की गई सूची में उन परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी एसईसीसी, 2011 सर्वे के दौरान गणना नहीं की गई थी या वे परिवार

एसईसीसी में गणना किए जाने के बावजूद उन्हे सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है किन्तु वे सहायता पाने के लिए पात्र पाए गए थे।

3.8 ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित सूचियां खण्ड विकास अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी।

क. ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त पात्र परिवारों की सूची।

ख. प्राथमिकता सूची से हटाए गए परिवारों की सूची।

ग. सहायता पाने का पात्र होने के बावजूद सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों की सूची।

3.9 ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद खण्ड विकास अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि इन सूचियों का कम से कम 7 दिनों की अवधि में ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी उनका दायित्व होगा कि विधिवत प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची को आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाए।

3.10 सात दिनों तक इन सूचियों का उपयुक्त प्रचार किए जाने के बाद विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना प्राथमिकता सूची से गलती से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव किए जाने से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत किए जाने के लिए और 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इन शिकायतों को कोई ग्राम स्तरीय कर्मचारी एकत्र करेगा और उसके बाद ये शिकायतें आगे कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएंगी या पीड़ित पक्ष सीधे सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इन शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराएगा।

3.11 मामलों को निपटाए जाने के पश्चात् प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट वरीयता देते हुए प्रत्येक श्रेणी की ग्राम पंचायत–वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी तथा यह ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह स्थायी प्रतीक्षा सूची पीएमएवाई–जी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

4. आवास का निर्माण

4.1 पक्का मकानः पक्का मकान से आशय ऐसे मकान से है, जो उचित रख–रखाव के किए जाने पर मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी–मोटी टूट–फूट को झेल सके और कम से कम 30 वर्षों तक चल सके।

4.2 मकान को लागत की सहायता के अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) के तहत

मकान निर्माण के दौरान 90 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है। इसे लाभार्थी स्वयं पा सकता है। मनरेगा योजना के तहत अपना 100 दिन का काम पूरा कर चुके लाभार्थी के मामले में अथवा लाभार्थी वृद्ध/विकलांग हो और किसी कारणवश वह कार्य करने में अक्षम हो, तो यह कार्य मनरेगा योजना के तहत काम मांगने वाले अन्य श्रमिक से कराया जा सकता है।

4.3 पी.एम.ए.वाई.–जी के तहत स्वीकृत किए गए मकान का लाभार्थी शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (जी) से रु0 12,000/– की सहायता राशि पाने के लिए भी पात्र हैं।

4.4 स्वच्छ रसोई सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।

4.5 भूमिहीन लाभार्थी के मामले में लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित की गई भूमि के लिए सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

5. लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र जारी करना

5.1 आवंटित किए गए लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर आधारित वार्षिक चयन सूची को एमआईएस–आवास सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान, बैंक खाते के विवरण, नामिती व्यक्ति के नाम, मनरेगा योजना जॉब कार्ड नंबर को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, यदि उपलब्ध हो सके तो आवास सॉफ्ट पर लाभार्थी का मोबाइल नंबर तथा सहमति प्राप्ति उपरान्त आधार कार्ड नंबर को भी दर्ज किया जाएगा। लाभार्थियों के लिए चिंहित किए गए क्षेत्रीय कर्मचारी और उपयुक्त प्रशिक्षित राजमिस्त्री के ब्यौरे भी आवाससॉफ्ट पर डाले जाएंगें।

5.2 लाभार्थी के ब्यौरे के पंजीकरण और उसके बैंक खाते के ब्यौरे दर्ज किए जाने के बाद विशिष्ट पी.एम.ए.वाई.–जी आईडी और क्विक रिस्पान्स (क्यू.आर.) कोड के साथ प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवाससॉफ्ट पर अलग से स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। आवास का आवंटन विधवा/अविवाहित/अकेले रह रहे व्यक्ति के मामलों को छोड़कर संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम किया जाएगा। आवास का आवंटन केवल महिला के नाम पर भी किया जा सकता है। विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत चयनित किए गए लाभार्थीयों के मामले में, आवंटन केवल उसी व्यक्ति के नाम किया जाना चाहिए। आवास की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने हेतु एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाएगी। लाभार्थी या तो ब्लॉक कार्यालय से स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकता है, अथवा उस

आदेश को अपनी पी.एम.ए.वाई.–जी आईडी का उपयोग करते हुए पी.एम.ए.वाई.–जी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है।

6 लाभार्थी को किश्त की रिलीज

6.1 लाभार्थी को पहली किश्त स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से एक हफ्ते (7 कार्य दिवस) के अंदर उसके (लाभार्थी) पंजीकृत किए गए बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से रू **40000/-** (**रुपये चालीस हजार मात्र**) स्थानान्तरित की जाएगी।

6.2 द्वितीय किश्त के रूप में रू **70000/-** (**रुपये सत्तर हजार मात्र**) का भुगतान निर्माण कार्य प्लींथ लेवल तक आने पर किया जाता है।

6.3 तृतीय/अन्तिम किश्त के रूप में रू **10000/-** (रुपये दस हजार मात्र) का भुगतान मकान का प्लास्टर/नेम प्लेट आदि कार्य पूर्ण हो जाने पर किया जाता है।

7 निर्माण का तरीका

7.1 पी.एम.ए.वाई.–जी के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या वह अपनी देखरेख में आवास का निर्माण कराएगा/कराएगी। मकानों के निर्माण में कोई ठेकेदार शामिल नहीं होगा और न ही मकानों का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा कराया जाएगा।

7.2 लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है।

7.3 निर्माण कार्य में विलंब होने से आवास निर्माण पूरा करने में समस्याएं बढ़ जाती हैं। अतः आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

8. तालमेल (कन्वर्जेन्स)

8.1 शौचालय का निर्माण पी.एम.ए.वाई.–जी के अनिवार्य भाग के रूप में किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एस.बी.एम.–जी), मनरेगा से शौचालयों का निमार्ण किया जाएगा। आवास का निर्माण केवल तभी पूरा माना जाएगा, जब उसमें शौचालय का निर्माण किया गया हो।

8.2 तालमेल के तहत आवास के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी के रूप में 90 श्रम दिवसों कीमजदूरी पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थी को दिया जाएगा।

8.3 आधारभूत सुविधाओं में से एक पेयजल हेतु पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थियों को राष्ट्रीय

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

8.4 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.वाई.) के लाभार्थी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएमवाई–जी लाभार्थी को सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर सट्रीट–लाइटिंग सिस्टम आदि योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है।

8.5 पी.एम.ए.वाई.–जी के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल0पी0जी0 कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

9. शिकायत का निस्तारण

9.1 ग्राम पंचायत, विकास खण्ड और जिले स्तर पर पी.एम.ए.वाई.–जी के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण किए जाने की व्यवस्था की गयी है।

9.2 प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में शिकायत का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करें।

9.3 शिकायत के निस्तारण के लिए प्रत्येक स्तर पर पदनामित अधिकारी के (नाम, टेलीफोन नंबर और पते सहित) उन अधिकारियों की जानकारी और शिकायत दायर करने की प्रक्रिया प्रत्येक पंचायत में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

9.4 शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर पदनामित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह शिकायत प्राप्त होने के तारीख से एक महीने में शिकायतों को निस्तारण करके की गई कार्यवाही रिपोर्ट rgportal.gov.in पर अपलोड करें और शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी दे।

अनुबंध–1

10. बहिर्वेशन (अपात्र किए जाने) प्रक्रिया

चरण–1: पक्के मकानों मे रहने वालों को बर्हिवेशन–पक्की छत /या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाएगा।

चरण–2: स्वतः बर्हिवेशन–अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 मानकों (पैरामीटरों) में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाएगा।

1. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. रु0 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर–कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य रु0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
11. वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।
12. दो या इससे अधिक फसल वाले मैसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।
13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

11. स्वतः अंतर्वेशन(पात्रता) के लिए मानदंड

1. आश्रयविहीन परिवार।
2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।
3. हाथ से मैला ढोने वाले।
4. आदिम जनजातीय समूह।
5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

खण्ड़ विकास अधिकारी द्वारा सोशल आडिट हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी

ग्राम पचांयत का नाम .....

वित्तीय वर्ष – 2021–22

प्रपत्र – सोशल आडिट प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

क्र0सं0	बिन्दु	सूचना
1	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या	
2.	SECC-2011 में चिन्हित परिवारों की संख्या	
2.1	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या	
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या	
3.	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की सूची	सूची संलग्न है
4.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में चयनित लाभार्थियों की सूची	सूची संलग्न है
5.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है	
5.1	वित्तीय वर्ष 2021–22 में कितने आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है उनमें से पूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	वित्तीय वर्ष 2021–22 के अपूर्ण आवासों की संख्या	
6	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण	संलग्न है
7	प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति	संलग्न है
8	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई	
9	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण	

हस्ताक्षर
खण्ड़ विकास अधिकारी /
सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी)

अध्याय – 2

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

सोशल आडिट : ड्राफ्ट प्रतिवेदन, चेकलिस्ट एवं निष्कर्ष/संस्तुतियाँ

(सोशल आडिट टीम एवं BSAC/BRP द्वारा तैयार किए जाने हेतु)

ग्राम पंचायत ..... **विकास खण्ड**.....

जनपद ..... **राज्य– उत्तर प्रदेश**

सोशल आडिट ग्राम सभा की तिथि .....

वित्तीय वर्ष (जिसका सोशल आडिट किया जाना है) : .....

(खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर भरा जाना है)

क्र0सं0	**बिन्दु**				**सूचना**
1	ग्राम पंचायत में कुल परिवारों की संख्या				
2.	SECC-2011 में चिन्हित परिवारों की संख्या				
2.1	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की संख्या				
2.2	स्थाई पात्रता सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या				
2.3	स्थाई पात्रता सूची में सामान्य परिवारों की संख्या				
3.	स्थाई पात्रता सूची में शामिल परिवारों की सूची				सूची संलग्न है
4.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में चयनित लाभार्थियों की सूची				सूची संलग्न है
5.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में आवासों हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की स्थिति				
5.1	आवंटित आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या		अपूर्ण आवासों की संख्या	
5.2	आवंटित आवासों में से सत्यापित आवासों की सं० (BSAC/BRP द्वारा)				
5.3	सत्यापित आवासों की वर्गवार स्थिति (BSAC/BRP द्वारा)				
	एससी	एसटी	अल्पसंख्यक	दिव्यांगजन	अन्य
6	लाभार्थीवार अवमुक्त की गई धनराशि का विवरण				संलग्न है
7	प्रत्येक लाभार्थी को आवंअित धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति				संलग्न है
8	ऐसे लाभार्थी परिवारों की संख्या जिन्हें अब तक धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई				
9	धनराशि उपलब्ध न होने का कारण				संलग्न है

1.10 सोशल आडिट टीम के सदस्यों के नाम– मोबाइल हस्ताक्षर

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

1.11 BSAC/BRP**का नाम –** **मोबाइल** **हस्ताक्षर**

.....

सोशल आडिट टीम द्वारा परीक्षणीय बिन्दु:—

क्र० सं०	लाभार्थी का विवरण		जाति / श्रेणी यथा अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्याक / अन्य	SECC-11 का क्रमांक	स्थाई प्रतीक्षा सूची क्रमांक	क्या वरीयता क्रम का उल्लंधन किया गया है (यदि हॉ तो कारण)
	लाभार्थी का नाम तथा आई०डी० नं0	पिता / पति का नाम				
	1	2	3	4	5	6

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1— ..... 2— .....

3— ..... 4— .....

क्या स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ?	भूमिहीन लाभार्थी को घर के निर्माण हेतु भूमि सरकार ने प्रदान की है?	आवास की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण)	समर्थन सेवायें				
			तकनीकी सहायता प्रदान की गई	गृह निर्माण के लिए कुशल राज मिस्त्री	सामग्री की खरीद के लिये पर्याप्त सहायता प्रदान की गई	बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान की गई	गृह निर्माण के लिए ग्राम पंचायत से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई
7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1— ..... 2— .....

3— ..... 4— .....

कन्वर्जेन्स (क). एसबीएम–जी					कन्वर्जेन्स (ख). एमजी–नरेगा		
क्या शौचालय निर्माण में पूर्ण सहयोग मिला	यदि हाँ तो क्या एमआईएस में निर्दिष्ट पूरी राशि प्राप्त हुई	शौचालय निर्मित हैं या नहीं	शौचालय उपयोग में हैं अथवा नहीं	देयता के अनुसार भुगतान हुआ है अथवा नहीं	घर के निर्माण के लिए रोजगार के दिनों की मजदूरी दी गई अथवा नहीं	यदि हाँ तो एमआईएस में निर्दिष्ट पूरी धनराशि प्राप्त हुई	देयता के अनुसार भुगतान हुआ अथवा नहीं?
11.1.1	11.1.2	11.1.3	11.1.4	11.1.5	11.2.1	11.2.2	11.2.3

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1– ..... 2– .....

3– ..... 4– .....

पूर्ण आवास							
उपयोग की स्थिति (स्वयं द्वारा प्रयोग / किसी और को किराए पर दी गई / अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग)	पीने के पानी तक पहुंच	घर में बिजली कनेक्शन	घर में शौचालय	घर में हवादार खाना पकाने का एक स्थान	घर में एक एल पी जी कनेक्शन	घर का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर के बराबर या उससे अधिक है?	क्या घर में पी एम ए वाई लोगो लाभार्थी का नाम मंजूरी का वर्ष और योजना का नाम बाहर चित्रित है?
12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1— ..... 2— .....
3— ..... 4— .....

अधूरे मकानों के लिए (स्वीकृति की तारीख से 12 महीने से अधिक) (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–1 देखें)	**लाभार्थी को कोई धनराशि देनी पड़ी?** (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–2 देखें)	**अभिलेखों में विसंगति** (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–3 देखें)	**अयोग्य लाभार्थी** (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–4 देखें)	**योग्य लाभार्थी का चयन नहीं** (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–5 देखें)
13	**14**	**15**	**16**	**17**

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1— ..... 2— .....

3— ..... 4— .....

शिकायत निवारण (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–6 देखें)	गृह निर्माण (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–7 देखें)	शौचालय निर्माण (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–8 देखें)	कन्वर्जेन्स (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–9 देखें)	सामग्री खरीद (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–10 देखें)
18	19	20	21	22

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1– ..... 2– .....
3– ..... 4– .....

अन्य अनियमितता (संलग्नक–1 में प्रकरण की सब–कैटेगरी–11 देखें)	क्या उसे पहले कोई शिकायत थी? शिकायत क्या थी, उसने इसका समाधान करने के लिए कदम उठाए? क्या इसका संतोषजनक समाधान किया गया था?	क्या उसे अब कोई शिकायत है? यदि हाँ तो विवरण दें।	क्या योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए उसके पास कोई सुझाव है	लाभार्थी के हस्ताक्षर
23	24	25	26	

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर 1– ..... 2– .....
3– ..... 4– .....

संलग्नक–1 : मुद्दे जिसे क्षेत्र में देखा जाना है

1) अधूरे मकानों के लिए देरी का कारण

1.1 प्रशासन से भुगतान न मिलना
1.2 तकनीकी सहायता की अनुपलब्धता
1.3 निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता
1.4 निर्माण श्रमिकों की अनुपलब्धता
1.5 धन की अनुपलब्धता
1.6 ऋण की अनुपलब्धता
1.7 खराब योजना
1.8 अन्य कारण, कृपया निर्दिष्ट करें

2) लाभार्थी को कोई धनराशि देनी पड़ी –

2.1 गृह की मंजूरी पाने के लिए
2.2 किस्त की राशि प्राप्त करने के लिए
2.3 फोटो खींचने वाले व्यक्ति को
2.4 जियोटैगिंग करने वाले व्यक्ति को
2.5 निरीक्षण के दौरान
2.6 अन्य कारण

3) अभिलेखों में विसंगति

3.1 लाभार्थी द्वारा प्राप्त राशि और आवास सॉफ्ट में निर्दिष्ट राशि में विसंगति
3.2 लाभार्थी के नाम पर विसंगति
3.3 अपलोड की गई तस्वीरें गृह के अनुरूप नहीं हैं
3.4 अपलोड की गई तस्वीरें लाभार्थी के अनुरूप नहीं हैं
3.5 अपलोड की गई फोटो उपयुक्त स्तर के अनुरूप नहीं हैं
3.6 जहाँ घर का निर्माण किया गया है वह जियोटैग स्थान से भिन्न है
3.7 मकान को पूरा दिखाया गया है, लेकिन यह पूरा नहीं है

4) अयोग्य लाभार्थी

4.1 लाभार्थी का चयन गलत तथ्यों पर था
4.2 लाभार्थी गृह के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उसके पास पक्का गृह है
4.3 लाभार्थी गृह के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह पंचायत में नहीं रहता है
4.4 लाभार्थी गृह के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उसे दूसरी योजना के तहत गृह मिल चुका है
4.5 लाभार्थी के नाम का उपयोग करके किसी और के लिए गृह बनाया गया है

5) योग्य लाभार्थी का चयन नहीं

5.1 गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि व्यक्ति योजना के तहत सहायता प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखता है

5.2 गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि व्यक्ति मर चुका है

5.3 गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि व्यक्ति को स्थानान्तरित कर दिया गया है

5.4 गलत तरीके से दर्ज किया गया है कि वह व्यक्ति पुराना लाभार्थी था

5.5 एसईसीसी में गलत डाटा

5.6 प्राथमिकता सूची में गलत डाटा

5.7 पीडब्ल्यूएल में गलत तरीके से बाहर रखा गया है

5.8 लाभार्थी को आवास+ डाटाबेस में शामिल नहीं किया गया है

6) शिकायत निवारण

6.1 लाभार्थी का गृह निर्माण के एक विशेष चरण में पहुंच गया है लेकिन लाभार्थी को सम्बन्धित किस्त नहीं मिली है

6.2 लाभार्थी का गृह पूर्ण है लेकिन सभी किस्तें नहीं मिली हैं

6.3 लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए सहायता प्रदान नहीं की गई है

6.4 लाभार्थी को गृह के लिए एमजीएनआरआईजीए मजदूरी नहीं मिली है

6.5 लाभर्थी ने शिकायत की थी लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई

6.6 लाभार्थी को गृह को पूरा करने के लिए ऋण के रूप में अतिरिक्त वित्त सहायता की आवश्यकता है लेकिन इसे प्राप्त करने में असमर्थ है

6.7 व्यक्ति के पास जमीन नहीं है और इसलिये वह योजना क तहत लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है

6.8 व्यक्ति बूढ़ा या कमजोर है अपने आप गृह बनाने की क्षमता नहीं है और इसलिये योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है

6.9 लाभार्थी को राज्य निर्दिष्ट किस्त नहीं मिलती है

6.10 अन्य

7) गृह का निर्माण

7.1 लाभार्थी को गृह निर्माण के लिए ठेकेदार नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था

7.2 एक ठेकेदार द्वारा गृह निर्माण किया गया था

7.3 गृह निर्माण की गुणवत्ता खराब है

7.4 पीएमएवाई लोगों को बाहर की दीवार पर प्रदर्शित नहीं किया गया है

7.5 लाभर्थी का नाम बाहर की दीवार पर प्रदर्शित नहीं किया गया है

7.6 बाहर की दीवार पर स्वीकृति वर्ष और योजना का नाम प्रदर्शित नहीं किया गया है

8) शौचालय निर्माण

8.1 मौजूदा शौचालय के लिए भुगतान की गई राशि

8.2 लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए एक ठेकेदार नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया था

8.3 शौचालय निर्माण से सम्बन्धित विसंगति

8.4 ठेकेदार द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था।

9) कन्वर्जेन्स

9.1 एमजीएनआरआईजीएएस मजदूरी का भुगतान लाभार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति को भुगतान किया गया जिसने घर में काम नहीं किया था

9.2 जल सुविधाओं के प्रविधान से सम्बन्धित विसंगति

9.3 एलपीजी गैस कनेक्शन प्रावधान के सम्बन्धित विसंगति

9.4 विद्युत आपूर्ति के प्रावधान के सम्बन्धित विसंगति

9.5 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्ध के प्रावधान के सम्बन्धित विसंगति

10) सामग्री खरीद

10.1 लाभार्थी को सामग्री खरीदने के लिये मजबूर किया गया था

10.2 सामग्री की गुणवत्त खराब है

10.3 सामग्री के लिए शुल्क दर अधिक है

10.4 लाभार्थी को आपूर्ति की गई सामग्री की मात्रा जा दावा किया गया है उससे कम है

10.5 सामग्री की खरीद में कंज्यूमेबल

11) अन्य अनियमितता

11.1 प्रशिक्षण में अनियमितता

11.2 प्रदर्शन गृह निर्माण में अनियमितता

11.3 प्रशासनिक खर्चे में अनियमितता

11.4 अन्य

सोशल आडिट के दौरान
सोशल आडिट टीम सदस्यों द्वारा भरी जाने वाली सूचनायें

क्र. सं.	परीक्षण के बिन्दु	विकल्प	टिप्पणी (विवरण सहित)
1.	स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई?	हाँ / नहीं	
1.1	यदि पिछले प्रश्न पर हाँ तो ग्राम सभा की तिथि जिसने स्थाई प्रतीक्षा सूची को मंजूरी दी	दिनांक	
1.2	ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या		
1.3	क्या ग्राम सभा की बैठक में सूची सार्वजनिक रूप से पढ़ी गई?	हाँ / नहीं	
1.4	क्या स्थाई प्रतीक्षा सूची को मंजूरी देने वाली ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही उपलब्ध हैं?	हाँ / नहीं	
2	क्या पंचायत में 'जनरेटेड प्राथमिकता सूची' के लिए उपयोग की गई SECC (सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना) डाटा की प्रति उपलब्ध है?	हाँ / नहीं	
3	क्या पंचायत में 'जनरेटेड प्राथमिकता सूची' उपलब्ध है?	हाँ / नहीं	
4	क्या पंचायत में स्थाई प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) उपलब्ध है?	हाँ / नहीं	
5	क्या स्थाई प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है?	हाँ / नहीं	
6	क्या स्थाई प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा की सूची के साथ मेल खाती है?	हाँ / नहीं	
7	क्या स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसार लाभार्थी का चयन हुआ है?	हाँ / नहीं	
8	योजना की मूल विशेषताओं पर लोगों की जागरूकता कैसी है?	अच्छा / ठीक / खराब	
9	क्या लोग चयन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं?	हाँ,अच्छा / ठीक / नहीं, खराब	

10	क्या इस पंचायत में दिव्यांगजनों को आवास उपलब्ध कराया गया है?	हाँ/नहीं	
11	क्या क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान की गई?	हाँ/नहीं	
12	क्या लोगों को आवासों के उपयुक्त मॉडल की एक रेंज (श्रृंखला) प्रदान की गई थी जिसमें से चयन करना है?	हाँ/नहीं	
13	क्या आवास निर्माण में मदद के लिए लाभार्थी को एक स्थानीय व्यक्ति के साथ टैग किया गया था?	हाँ/नहीं	
14	क्या लोगों को निर्माण सामग्री (रेत और सीमेंट) की खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?	हाँ/नहीं	
15	क्या प्रशिक्षित राजमिस्त्री की कमी के कारण लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा?	हाँ/नहीं	
16	क्या आवास निर्माण की उच्च लागत के कारण लोग कठिनाई में हैं	हाँ/नहीं	
17	क्या गाँव में सूखा एवं गीला कूड़ा (ठोस एवं तरल) प्रबन्धन की व्यवस्था है?	हाँ/नहीं	
18	क्या इस पंचायत में आनुपातिक संख्या में आवास प्राप्त हुए हैं? (विकासखण्डों एवं ग्रा0पं0 में पीडब्ल्यूएल की सं0 के अनुसार आवास का आवंटन)	हाँ/नहीं	
19	क्या वृद्ध और दिव्यांगजन लाभार्थियों को कोई विशेष सहायता प्रदान की गई थी?	हाँ/नहीं/लागू नहीं	
20	क्या इस पंचायत में भूमिहीन लोग हैं जिन्हें पीएमएवाई के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है?	हाँ/नहीं	
21	क्या पूर्ण हुए आवासों में पीएमएवाई का लोगों और लाभार्थी का नाम है?	हाँ/नहीं	

टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर

1– ..... **2–** .....

3– ..... **4–** .....

अध्याय–3
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत्त का नमूना

आज दिनाँक..... को सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री/सुश्री.....ने की। बैठक में सोशल आडिट टीम द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यात्मक बिन्दुओं/इंगित अनियमितताओं पर बहस एवं सम्यक विचार–विमर्श हुआ। सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त विभिन्न प्रकरणों में मत स्थिर किया गया। बैठक में जिन मामलों को सुलझाया जा सकता था उनका निस्तारण किया गया और शेष अनियमितताओं के प्रकरणों में संस्तुति की गई।

सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक में हुई बहस/विचार–विमर्श के पश्चात् विभिन्न विषयों पर निष्कर्ष निम्नवत् उल्लिखित है:–

1.1 परिवारों के चयन में वरीयताक्रम का उल्लंघन –

सोशल आडिट टीम ने अपने ड्राफ्ट प्रतिवेतन में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु परिवारों के चयन में निम्नांकित परिवारों, जिनका नाम बी0पी0एल0/स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित नहीं है, को भी आवास दिए जाने का उल्लेख किया है:–

1. .....
2. .....
3. .....

ग्राम सभा की बैठक में उक्त नामों पर विचार–विमर्श किया गया और उपस्थित सदस्यों/जिम्मेदार कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

1. श्री/श्रीमती.....ने अवगत कराया कि.....
   .....
2. श्री/श्रीमती.....ने बताया कि .....
   .....
3. जिम्मेदार कर्मचारी श्री/श्रीमती..... ने स्थिति स्पष्ट की कि.....
   .....

विचारोपरान्त उक्त बिन्दुओं पर सोशल आडिट ग्राम सभा ने निम्नांकित मत स्थिर किया तथा संस्तुतियाँ की :–

1. .....
2. .....
3. .....

1.2 अपात्र लाभार्थी का चयन होने से सम्बन्धित –

2. स्वीकृति पत्र प्राप्त न होने से सम्बन्धित –

3. भूमिहीन लाभार्थी को निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित–

4. समर्थन सेवाएं प्राप्त होने से सम्बन्धित –

5.1 एस0बी0एम0–जी0 कन्वर्जेन्स से सम्बन्धित (शौचालय निर्माण, शौचालय की उपयोगिता इत्यादि)–

5.2 एस0जी0 नरेगा कन्वर्जेन्स से सम्बन्धित (लाभार्थी को एम0जी0नरेगा से मजदूरी भुगतान)–

6.1 आवास का निर्माण पूर्ण होने से सम्बन्धित (उपयोगिता, बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, खाना पकाने का स्थान, एल0पी0जी0 कनेक्शन इत्यादि) –

6.2 आवास में लाभार्थी के नाम पट्टिका की स्थिति –

7 अधूरे मकानों से सम्बन्धित (स्वीकृति की तारीख से 12 महीने से अधिक) –

8. लाभार्थी को कोई धनराशि देनी पड़ी (आवास की मंजूरी, किस्त की राशि प्राप्त करने, फोटो खीचने, जियोटैगिंग करने हेतु इत्यादि) –

9. अभिलेखों में विसंगति से सम्बन्धित –

10. शिकायत निवारण से सम्बन्धित –

11. गृह निर्माण से सम्बन्धित –

12. शौचालय निर्माण से सम्बन्धित –

13. कन्वर्जेन्स से सम्बन्धित (एम0जी0 नरेगा मजदूरी भुगतान, जल सुविधा के प्राविधान, एल0पी0जी0 गैस कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति इत्यादि)–

14. सामग्री खरीद से सम्बन्धित –

15. अन्य अनियमितता यदि कोई हो–

16. यदि कोई शिकायत है? तो पूर्ण विवरण दें–

17. योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव –

18. क्या आवास के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि प्राप्त है, तो उसके निस्तारण की स्थिति–

नोटः– बिन्दु 1 पर कार्यवाही लिखे जाने का तरीका नमूने के रूप में दर्शाया गया है। उसी प्रकार अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही लिखी जानी है।

हस्ताक्षर

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/
ब्लाक रिसोर्स पर्सन

हस्ताक्षर

अध्यक्ष,
सोशल आडिट ग्राम सभा

अन्य सदस्य जो सोशल आडिट ग्राम सभा में उपस्थित रहे–

1. ..... 2. .....
3. ..... 4. .....
5. ..... 6. .....

संख्या दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक ..... ।
2. खण्ड विकास अधिकारी ..... ।
3. ग्राम प्रधान/सचिव गाँव पंचायत..... ।

ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/
ब्लाक रिसोर्स पर्सन
नाम : .....
जनपद : .....

सोशल आडिट ग्राम सभा

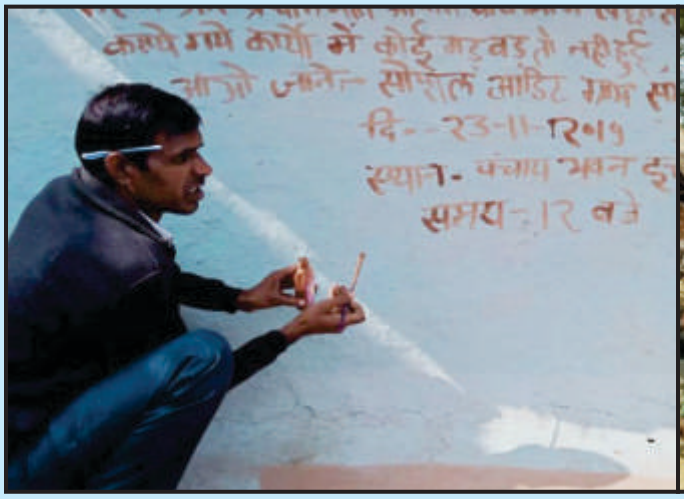

सोशल आडिट हेतु जागरूकता अभियान

जन जागरूकता रैली

ब्लॉक संसाधन व्यक्यिों का प्रशिक्षण

मनरेगा के अंतर्गत कार्यो का मापन

सोशल आडिट निदेशालय, उ0प्र0

7वां तल, पी0सी0एफ0 भवन, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ– 226001

Phone:- 0522-2630877,2630878, Fax:-0522-4003787

E-mail: socialauditup@yahoo.in

Website: www.socialauditup.in

◆◆◆

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0

इन्दौराबाग, बख्शी का तालाब, लखनऊ – 226202

दूरभाष : 0522–2050210

Email : ddusird-up@nic.in

Website : www.sirdup.in